कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।

पत्रांक 1874 /14–1 ,आगरा, दिनांक, 06 ,दिसम्बर, 2019

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मैनपुरी।

विषय :– जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत शिकोहाबाद–भोगॉव मार्ग (SH-84) की बॉयी पटरी किमी0 51 से 52 के मध्य (चैनेज 51.950) ग्राम संसारपुर के गाटा संख्या 1149/2 व 1150 मि0 पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, आगरा द्वारा प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.052278 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आपका पत्रांक 1623/14–1 दिनांक 03.12.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का अभाव पाया गया :–

1– परियोजना में चिन्हित वन स्वरूप क्षेत्रों की कोई भूमि सम्मिलित नहीं होने सम्बन्धी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न किया गया है, जो उचित नहीं है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें।

2– परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्यजीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न किया गया है, जो उचित नहीं है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें।

अतः आप द्वारा प्राप्त प्रस्ताव मूल में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करते हुए संशोधित प्रस्ताव तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के0 प्रवीण राव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 1874 / समदिनांकित ।

प्रतिलिपि मुख्य प्रबंधक, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, 65/2, संजय प्लेस, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(के0 प्रवीण राव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।